

ऑन लाईन नं. RCMS2022/282

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.  
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 25 / 2022

श्री. विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुशील कुमार पोपली पुत्र श्री प्रेम कुमार पोपली  
मैसर्स न्यू गंगा पनीर हाउस, 6 अरोडवंश मार्केट, बीरबल चौक, श्रीगंगानगर।  
—खाद्यकारोबारकर्ता—  
—मालिक—
2. श्री प्रेमकुमार,  
मैसर्स न्यू गंगा पनीर हाउस, 6 अरोडवंश मार्केट, बीरबल चौक, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2)/51


निर्णय

दिनांक : 23.01.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक:एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। परिवादी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.04.2012 के गजट में भग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.06.2022 को दोपहर पूर्व 11.00 ए.एम. पर मैसर्स न्यू गंगा पनीर हाउस, 6 अरोडवंश मार्केट, बीरबल चौक, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहा सुशील कुमार पोपली पुत्र श्री प्रेम कुमार पोपली उपस्थित मिला जिसने खुद को खाद्य कारोबारकर्ता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेंस, तथा स्वयं के आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध गाय का दूध जो कि 500-500 एम.एल. की 50 प्लास्टिक थैली में डिप फिजर रखा है के अमानक का शक होने पर 500-500 एमएल की 4 थैली गाय का दूध

  
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर



खाद्यकारोबारकर्ता श्री सुशील कुमार पोपली को सूचित करते हुए वास्ते नमूने जांच खरीदा, जिसकी कीमत श्री सुशील कुमार पोपली को 60/- रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 05 ए प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुशील कुमार पोपली पुत्र श्री प्रेम कुमार पोपली एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री सुशील कुमार पोपली को देकर असल रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा गाय का दूध की 500-500 एम.एल. की 4 थैलीयों को 4(चार) साफ सूखी व खाली प्लास्टिक के जारों में डाला। प्रत्येक जार में 40 बूंदे फॉर्मेलीन की डालकर उसे एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक जार पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. गंगानगर के कोड व अनुक्रमांक K-1516 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूनाभाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड अनुक्रमांक K-1516 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता सुशील कुमार पोपली ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/725/एक्ट/2022/725 दिनांक 23.06.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-1516 गांय का दुध अमानक स्तर Sub-Standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री सुशील कुमार पोपली पुत्र प्रेम कुमार पोपली निवासी 6 अरोडवंश

श्रीगंगानगर



ऑन लाईन नं.RCMS2022/282

मार्केट, बीरबल चौक, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर गांय का दुध का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 29.11.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी न्यू गंगा पनीर हाउस दुकान नम्बर 06 अरोड़वंश मार्केट का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 1915 दिनांक 06.12.2022 का दिया है कि आपकी दुकान में गांय का दुध की जांच की गई तो गाय का दुध Sub-Standard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त गाय के दुध में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया गांय का दुध का सैम्पल के-1516 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/725/एक्ट/2022/725 दिनांक 23.06.2022 द्वारा Sub-Standard Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 उल्लंघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी न्यू गंगा पनीर हाउस दुकान नम्बर 06 अरोड़वंश मार्केट का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 1915 दिनांक 06.12.2022 का दिया है कि आपकी दुकान में गांय का दुध की जांच की गई तो गाय का दुध Sub-Standard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त गाय के दुध में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Mawa" Code No and Sr. No. K-1534 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it does not Conform to the prescribed Standard of Food Safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations. 2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(1)के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रुपये 5,000-00 (अखरे रुपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित

अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर




किया जाता है कि प्रकरण में जब्त गांय के दुध का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में गाय का दुध के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डा. हरीतिमा)  
अतिरिक्त जिला कमिश्नर (प्रशासक) एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)  
श्रीगंगानगर